न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 02/2021

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
चम्पादेवी पत्नी श्री छगाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज.		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी एडवोकेट

अप्रार्थी सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :–**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम जसवन्तपुरा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 0.3489 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय आयी हुयी है। जिसके जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 63 पर दर्ज है। उक्त भूमि को प्रार्थी ने खरीद कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 118 के पूरब की ओर सरकारी भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 7.2810 हैक्टेयर किस्म गै.मु. मगरा स्थित है, जो जमाबन्दो संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 1 में इन्द्राज है। प्रार्थी के खेत के पूर्व में खसरा नम्बर 122 के चिपते खसरा नम्बर 123 गै.मु. रास्ता स्थित है। जो प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु मौके पर रास्ता स्थित है। जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में माक ए.बी. सी.डी. से दर्शित किया गया है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 118 से सरकारी भूमि खसरा नम्बर 122 की भूमि में से होते हुए खसरा नम्बर 123 तक रास्ता भूमि की कृषि उपयोग हेतु आने जाने की आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 118 की भमि में काश्त कार्य करने हेतु अपनी भूमि में आने जाने हेतु सरकारी भूमि खसरा नम्बर 122 के मार्क ए.बी.सी.डी. की भूमि में से होकर गुजरता है और यही भूमि यानि मार्क ए.बी.सी.डी. भाग के रास्ते को उपयोग व उपभोग लेता आ रहा है। जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र क साथ संलग्न है। भूमि खसरा नम्बर 122 में से मार्क ए.बी.सी.डी. भाग पर निकलने वाला रास्ता, जो खसरा नम्बर 123 में पहुचता है, जिसमें खसरा नम्बर 122 गै.मु. मगरा सरकारी भूमि में किसी भी समय रास्ता को सरकारी स्तर पर बंद किया जा सकता है। प्रार्थी को अपने खेत में [illegible] सरकारी रेकर्डेड रास्ते की आवश्यकता है ताकि भविष्य में किसी भी समय [illegible] खेत में [illegible] जाने बाधक् अव्यवस्था उत्पन्न नही हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.11 16:34:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी को खसरा नम्बर 122 की भूमि में रास्ता प्राप्त करने का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी के कृषि भूमि में आने जाने हेतु इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा खसरा नम्बर 122 में स्थित रास्ता नजरी नक्शे में मार्क अनुसार बंद होने पर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 118 में काश्त कार्य करने से भी वंचित होना पड़ सकता है। प्रार्थी का जीवनयापन का एकमात्र साधन कृषि है। काश्त कार्य से वंचित होने के कारण प्रार्थी का जीवन निर्वाह करना भी मुश्किल हो जायेगा। जिसकी वजह से प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति की जाना संभव नही है। प्रार्थी का मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ते की आत्यधिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थी को सरकारी भूमि खसरा नम्बर 122 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ते को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र पेश कर अन्त में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम जसवन्तपुरा, तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 0.3479 हैक्टेयर में प्रार्थी को काश्त कार्य करने के लिये आने जाने हेतु सरकारी भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 7.2810 हैक्टेयर में मार्क ए.बी.सी.डी. भाग से होकर रास्ता निकलता है, जो रास्ता खसरा नम्बर 123 तक पहुचता है, जिसको प्रार्थी हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपयोग में लेता है, जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किया जावे तथा राजकीय रास्ते का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। तथा खसरा नम्बर 122 रकबा 7.2810 हैक्टेयर में माक ए.बी.सी.डी. रास्ते को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। मौजूदा मामला धारा 251 ए राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत होने से अप्रार्थी तहसीलदार बिलाड़ा को माका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश की गयी, जो माका फर्द रिपोर्ट इस आधार की पेश की गयी कि प्रार्थी के खेत में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी खसरा नम्बर 122 रकबा 7.2810 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन मगरा जो सरकारी भूमि है जिस में से आना जाना होता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 123 रकबा 2.9124 हैक्टेयर किस्म रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर कोई कच्चा पक्का निर्माण नही किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा वांछित खसरा नम्बर 122 में से 0.02427 हैक्टेयर भूमि आती है जिसकी डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि 6436 रूपये बनते है।

हमने उभय पक्षकारान के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी और योग्य अधिवक्ता पार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 10.02.2021 के अनुसार ए.बी.सी.डी. का रास्ता प्रार्थी को दिल[illegible] ताकि प्रार्थी अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की [illegible] अदा करने को तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.11 16:34:53 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलाकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम जसवन्तपुरा तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 0.3479 हैक्टेयर में प्रार्थी को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 122 रकबा 7.2810 हैक्टेयर के ए.बी.सी.डी. भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 123 गै.मु. रास्ता में पहुचता है मौका कमीश्नर की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की ताईद होता है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प04(52) राज'–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.13 के अनुसार अगर प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता नही होने पर एवं सबसे निकटतम सरकारी भूमि में से अधिकतम 30 फुट चौड़ा रास्ता डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि से दिया जा सकता है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 118 में काश्त कार्य करने का पूरा हक व अधिकार है, अगर काश्त कार्य नही किया जायेगा तो उसका जीवन निर्वाह चलेगा नही। इस कारण पार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 10.02.2021 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए.बी.सी.डी. भाग को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है प्रार्थी अप्रार्थी को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चालान अदा कर इस न्यायालय में चालान की प्रति पेश करेंगे। भू. अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 10.02.2021 को इस आदेश के साथ अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपार्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.11 16:34:53 IST
Reason: SelfAttested